# ओंकारेश्वर में प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर वसूली

**गार्ड-फोटोग्राफर जेल, दो आरक्षक लाइन अटैच**

नवभारत न्यूज़

**ओंकारेश्वर।** विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। 11 श्रद्धालुओं से 13,200 वसूले जाने के आरोप में मंदिर के एक सुरक्षा गार्ड और एक स्थानीय फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं ड्यूटी में लापरवाही पाए जाने पर दो पुलिसकर्मियों अमन और धर्मेंद्र को लाइन अटैच कर दिया गया है। मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सभी सुरक्षा कर्मियों का दो दिनों के भीतर चरित्र सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ किसी

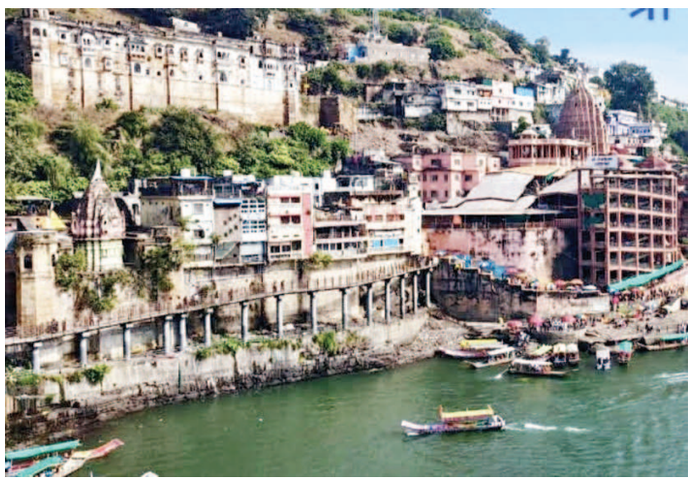

भी प्रकार की ठगी या अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

**शिकायत के बाद बदले बयान, जांच में नए सवाल**- शिकायत के अनुसार 11 श्रद्धालुओं से प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर ?13,200 लिए गए थे। कार्रवाई के बाद कुछ श्रद्धालुओं द्वारा बाद में ठगी से इनकार किए जाने से मामला और उलझ गया है। अब यह जांच का विषय है कि यदि शिकायत सही नहीं थी तो दर्ज क्यों हुई, और यदि सही थी तो बाद में बयान क्यों बदले गए।

**प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था पर गंभीर सवाल**-प्रशासन का कहना है कि प्रोटोकॉल दर्शन केवल अधिकृत व्यक्तियों और विभागों की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों तक प्रोटोकॉल व्यवस्था की जानकारी और पहुंच कैसे बनी। इस पूरे मामले में किसी संगठित नेटवर्क या मिलीभगत की भूमिका है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है।

**सोशल मीडिया पर बड़े रैकेट के दावे, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं**- कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर यह दावा भी किया जा रहा है कि प्रोटोकॉल दर्शन की व्यवस्था का दुरुपयोग लंबे समय से हो रहा है। कुछ पोस्टों में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न विभागों के कुछ कर्मचारी और बिचौलिए वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से हजारों रुपये वसूलते हैं और इससे प्रतिदिन लाखों रुपये का अवैध कारोबार होता है। हालांकि, इन दावों की प्रशासन या पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसी तरह किसी विभाग, बैंक, पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तथा करोड़ों रुपये की अवैध कमाई जैसे आरोप भी फिलहाल जांच के दायरे में हैं और स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुए हैं।

**पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता पर उठे सवाल**- ओंकारेश्वर में पहले भी प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने या समाप्त करने की मांग की है। ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि यदि प्रोटोकॉल व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने जांच जारी रखने की बात कही है। यदि जांच में किसी अन्य कर्मचारी, अधिकारी या व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ओंकारेश्वर जैसे आस्था के प्रमुख केंद्र पर सामने आया यह मामला श्रद्धालुओं के विश्वास और मंदिर की व्यवस्था, दोनों के लिए गंभीर चुनौती बन गया है।

## विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

नवभारत न्यूज़

**खंडवा।** शासकीय सांदीपनि विद्यालय, हरसूद में बुधवार को विद्यार्थियों को कानून, उनके अधिकारों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यवहार न्यायाधीश हरसूद श्री राकेश भिड़े उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण, हिंसा, उत्पीड़न या अन्याय होने पर विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में बिना संकोच संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का आह्वान किया। शिविर में मोटरयान अधिनियम, सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, ट्रैफिक संकेतों का सम्मान करने तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन नहीं चलाने की समझाइश दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य रामकृष्ण पटवारे, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।

# शादी का झांसा देकर 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म

**आरोपी बाल संप्रेषण गृह भेजा गया**

नवभारत न्यूज़

**खंडवा।** जिले के खालवा थाना क्षेत्र में नाबालिगों से जुड़े अपराध का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक 16 वर्षीय किशोर पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और उनके बीच पहले से ही दोस्ती थी। पीड़ित ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि 5 जुलाई को आरोपी ने उसे फोन किया और अपने एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में चलने का बहाना बनाया। छात्रा उस पर भरोसा कर उसके साथ चली गई। पार्टी में ले जाने के बजाय, आरोपी उसे गांव के ही पास एक खेत में बनी टपरी (झोपड़ी) में ले गया। वहां उसने छात्रा को शादी का झांसा दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस खौफनाक घटना के बाद डरी-सहमी पीड़ित ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई।

वारदात का पता चलते ही परिजन मंगलवार को पीड़ित को लेकर सीधे खालवा थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। खालवा थाना प्रभारी जगदीश सिंधिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। चूंकि आरोपी भी 16 वर्ष का नाबालिग है, इसलिए उसे हिरासत में लेने के बाद वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया है। थाना प्रभारी के मुताबिक, प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है।

पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पीड़ित का मेडिकल परीक्षण करवा लिया है और मामले की सघन जांच जारी है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में कानून के प्रावधानों के तहत पीड़ित की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जा रही है।

## पुलिस ने साइबर रन निकालकर दिया साइबर सुरक्षा का संदेश

नवभारत न्यूज़

**खंडवा।** जिले में साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सेफ क्लिक 2.0 अभियान के 14वें दिन मंगलवार को जिला मुख्यालय सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान साइबर रन (मैराथन), जनजागरूकता रैली, विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपाय

बताए गए। जिला मुख्यालय पर आयोजित साइबर रन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारनेकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) गजेंद्र सिंह कंवर, डीएसपी मुख्यालय अनिल सिंह चौहान, डीएसपी ट्रैफिक अनिल कुमार राय सहित विभिन्न थाना प्रभारियों, पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस बल ने सहभागिता की। ए।अभियान के तहत पंधाना, जावर, पिपलोद, छैगांव माखन, मूंदी, मान्धाता, धनगांव, नर्मदानगर, हरसूद, खालवा और किल्होद थाना क्षेत्रों में भी स्कूलों, कॉलेजों, हाट-बाजारों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

# गांजे की अवैध खेती पर कोर्ट का सख्त फैसला

**दो आरोपियों को 3-3 साल की जेल**

नवभारत न्यूज़

**खंडवा।** खंडवा की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा की अवैध खेती के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनिल चौधरी ने सुनाया। शासकीय अधिवक्ता अश्विनी भाटे ने बताया कि 17 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन जावर थाना प्रभारी गंगाप्रसाद वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भकराड़ा के कोसामिया फालिया स्थित एक खेत में कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे की अवैध खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पंचों और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे के साथ मौके पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान खेत से 20 हरे गांजे के पौधे बरामद हुए, जिनका कुल वजन 4.850 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने पौधों को जब्त कर नमूने एफएसएल जांच के लिए भेजे और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि सर्वे नंबर 209 की एक हेक्टेयर कृषि भूमि गणपत तोमर को बंटाई पर दी गई थी। अभियोजन ने न्यायालय में जब्ती पंचनामा, एफएसएल रिपोर्ट, पुलिस अधिकारियों और गवाहों के बयान सहित सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने गणपत तोमर और मोतीराम कुम्हार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई तथा जब्त गांजे के पौधों और संबंधित मिट्टी को अपील अवधि समाप्त होने के बाद नियमानुसार नष्ट करने के निर्देश भी दिए।

## भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा : 22 मंडल अध्यक्षों की घोषणा

नवभारत न्यूज़

**खंडवा।** भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने संगठनात्मक विस्तार के तहत खंडवा जिले के 22 मंडलों के अध्यक्षों की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष अनूप पटेल ने नियुक्ति सूची जारी करते हुए नव-नियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और पार्टी की नीतियों व जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया।प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि नियुक्तियां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं निमाड़ संभाग प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, जिला प्रभारी अम्बाराम कराड़ा के मार्गदर्शन तथा भाजपा जिला अध्यक्ष राजपालसिंह तोमर की सहमति से की गई हैं।मांधाता विधानसभा के ओंकारेश्वर, पुनासा, कावेरी, मूंदी और किल्होद मंडलों सहित हरसूद, खंडवा और पंधाना विधानसभा क्षेत्रों के सभी मंडलों में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। संगठन ने इन नियुक्तियों के माध्यम से जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।जिला अध्यक्ष अनूप पटेल ने कहा कि मंडल अध्यक्ष संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे सदस्यता अभियान को मजबूत करने, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने तथा आगामी संगठनात्मक और राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका

## कबाड़ कारोबारियों पर पुलिस की विशेष नजर, जिलेभर में चला जांच अभियान

नवभारत न्यूज़

**खंडवा।** जिले में चोरी, अवैध गतिविधियों और संदिग्ध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से खंडवा पुलिस ने बुधवार को विशेष अभियान चलाकर जिलेभर के स्क्रैप (कबाड़) कारोबारियों की सघन जांच की। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देश पर सभी अनुविभागीय अधिकारियों के नेतृत्व में संबंधित थाना प्रभारियों एवं पुलिस टीमों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कबाड़ व्यापारियों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।अभियान के दौरान पुलिस ने कबाड़ कारोबारियों द्वारा खरीदे और बेचे जाने वाले स्क्रैप का रिकॉर्ड संधारित करने के लिए रखे जाने वाले रजिस्टरों की जांच

की। अधिकारियों ने यह भी देखा कि व्यापारियों द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। जिन स्थानों पर रिकॉर्ड संधारण में कमी पाई गई, वहां व्यापारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सभी लेन-देन का नियमित और पारदर्शी रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया।पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि बिना वैध पहचान और आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी व्यक्ति से संदिग्ध स्क्रैप या चोरी का माल खरीदने से बचें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामग्री उनके संज्ञान में आती है तो इसकी तत्काल सूचना नजदीकी थाने को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।पुलिस का कहना है कि जिले में कबाड़ कारोबार की नियमित निगरानी का उद्देश्य चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाना, चोरी के माल की खरीद-फरोख्त रोकना तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। इसी के तहत समय-समय पर विशेष जांच अभियान चलाए जाते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऐसे निरीक्षण और जांच अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, जिससे अपराधों की रोकथाम में जनसहयोग मिल सके।

# संस्थाओं को लेकर विधायक की कलेक्टर से मुलाकात

नवभारत न्यूज़

**खंडवा।** खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने मंगलवार को जिला कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मुलाकात कर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान जिला अस्पताल, सीवरेज कार्य, पार्वतीबाई धर्मशाला के दुकानदारों की समस्याएं, नर्मदा जलापूर्ति व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा नेता मुकेश तन्वे, धर्मेंद्र बजाज एवं समाजसेवी-प्रवक्ता सुनील जैन भी शामिल रहे।विधायक तन्वे ने बताया कि

जनदर्शन और क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों से समस्याओं की जानकारी मिलती है, जिन्हें प्रशासन के समक्ष उठाकर उनके शीघ्र समाधान का प्रयास किया जाता है। उन्होंने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में होने वाली देरी का मुद्दा उठाते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता बताई, ताकि विवाद की स्थिति में तत्काल व्यवस्था बनाई जा सके।उन्होंने शहर में चल रहे सीवरेज कार्य की धीमी गति पर भी चिंता जताई और कहा कि पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़कों के गड्ढे समय पर नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इस संबंध में कलेक्टर से कार्य में तेजी लाने और सड़कें शीघ्र दुरुस्त कराने का आग्रह किया गया। विधायक ने बताया कि निमाड़ संभाग मुख्यालय, बटालियन, खंडवा-मूंदी सड़क, माखनलाल चतुर्वेदी विद्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और जिले की लंबित मांगों को

## 24 घंटे में जिले में 20 .4 मिमी औसत बारिश

नवभारत न्यूज़

**खंडवा।** जिले में मानसून की रफ्तार लगातार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में जिले में 20.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। भू-अभिलेख कार्यालय के अनुसार सबसे अधिक 49 मिमी बारिश खालवा तहसील में रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा खंडवा तहसील में 21 मिमी, पुनासा में 15 मिमी, पंधाना में 9 मिमी और नया हरसूद में 8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष अब तक जिले में 256.0 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है, जो पिछले वर्ष 8 जुलाई तक दर्ज 205.2 मिमी औसत वर्षा से अधिक है।

तहसीलवार अब तक खालवा में 346 मिमी, खंडवा में 246 मिमी, पंधाना में 241 मिमी, पुनासा में 227 मिमी और नया हरसूद में 220 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है, वहीं प्रशासन भी वर्षा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

# शासकीय भवनों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर प्लांट

नवभारत न्यूज़

**खंडवा।** जिले के शासकीय भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में विभिन्न शासकीय संस्थानों के लिए पावर पर्चेस एग्रीमेंट (विद्युत क्रय अनुबंध) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, संबंधित विभागों और चयनित रेस्को एजेंसी के अधिकारी मौजूद रहे। अनुबंध के तहत शासकीय विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और अन्य चयनित सरकारी परिसरों में रूफटॉप

सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। यह परियोजना रेस्को मॉडल के तहत बिना किसी प्रारंभिक पूंजीगत खर्च के लागू होगी, जिससे सरकारी संस्थानों को स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती बिजली मिलेगी।

इससे बिजली बिल में दीर्घकालिक बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 विजन और राज्य की हरित ऊर्जा नीति के अनुरूप यह पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने सभी विभागों को परियोजना का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

**एक नजर** पंचनामे के नाम पर खनिज विभाग की खाना पूर्ति, मुरुम के अवैध ढेर ने उजाड़ी किसान की कपास!

# पॉवर ग्रिड की मनमानी और विभागीय चुप्पी के बीच ग्राम मोरक्का माफी का किसान बदहाल

नवभारत न्यूज़

**मोरटक्का ।** विकास परियोजनाओं की आड़ में किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और सरकारी विभाग केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित रह जाते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण ग्राम मोरक्का माफी में देखने को मिला है। एक तरफ खनिज मुरुम की खुलेआम डंपिंग कर प्राकृतिक जलस्रोत को रोक दिया गया, वहीं खनिज विभाग और प्रशासन पंचनामे के नाम पर महज औपचारिकता निभाते नजर आ रहे हैं। इस प्रशासनिक अनदेखी का सीधा खामियाजा एक गरीब किसान को अपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी कपास की फसल के रूप में चुकाना पड़ रहा है।

दिनांक 08-07-2026 को शिकायतकर्ता निकलेश जुनालिया और ग्राम उपसरपंच प्रेमलाल जुनालिया सहित अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में बनाए गए पंचनामे से यह स्पष्ट है कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर के अंतर्गत 765 च.ङ्क. मंदसौर-खंडवा ट्रांसमिशन लाइन का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत इंडिग्रिड खंडवा उपकेंद्र से निकलने वाले खनिज मुरुम को लाकर खसरा नंबर 131 की भूमि पर डंप कर दिया गया है। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि यह मनमानी पॉवर ग्रिड सनावद कार्यालय के प्रबंधक राहुल बिरला के संरक्षण में की गई है।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल खनिज विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। मौके पर खसरा नंबर 131 में लगभग 5000 घन मीटर खनिज मुरुम डंप किया गया है। इतनी भारी मात्रा में खनिज सामग्री डालकर नाले का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया। नतीजतन, नाले का पूरा पानी सीधे शिकायतकर्ता निकलेश जुनालिया के खेत (खसरा नंबर 197/2) में घुस रहा है।

खेत में वर्तमान में लगी कपास की फसल पूरी तरह से जलमग्न होकर सड़ने की कगार पर है। पंचनामा तो बना दिया गया, लेकिन मामले की लीपापोती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जांच के समय मौके पर पॉवर ग्रिड या कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था।

हजारों घन मीटर खनिज मुरुम डंप हो जाना और किसी जिम्मेदार का मौके पर न होना यह दर्शाता है कि यह पंचनामा पीड़ित किसान को न्याय दिलाने की बजाय खनिज विभाग और प्रशासन की महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गया है। किसान अपनी बर्बाद फसल को देखकर गुहार लगा रहा है, लेकिन सिस्टम फिलहाल मूकदर्शक बना हुआ है।